कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान,

22 गोदाम, नेहरू सहकार भवन

जयपुर

क्रमांक फा. 50(29)सविरा/बैंक-2/CRAR/2013 दिनांक : 09.05.2016

आदेश

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 28 मार्च 2016 को सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों का उत्तर देते हुए राज्य विधानसभा में "फसली ऋण पर हिस्सा राशि 9 प्रतिशत से कम कर 8 प्रतिशत करने" की घोषणा की गई है।

अतः उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.2015 से पैक्स/लैम्पस द्वारा ऋणी सदस्यों से अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ली जा रही 9 प्रतिशत हिस्सा राशि को घटाकर 8 प्रतिशत पुनर्निर्धारित करते हुए विभाजन अनुपात को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

1.	**पैक्स/लैम्पस द्वारा सदस्यों से ली जाने वाली हिस्सा राशि**	**8.00 प्रतिशत**
2.	**केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा द्वारा पैक्स/लैम्पस से ली जाने वाली हिस्सा राशि**	**6.00 प्रतिशत**
3.	**राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ली जाने वाली हिस्सा राशि**	**2.75 प्रतिशत**

उपरोक्तानुसार परिवर्तित दर व विभाजन अनुपात सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

समस्त बैंकों द्वारा उक्त आदेश की पालना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जावें।

(डॉ. रेखा गुप्ता)
रजिस्ट्रार

क्रमांक फा. 50(29)सविरा/बैंक-2/CRAR/2013 दिनांक : 09.05.2016

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महो. राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर को भेजकर लेख है कि अपने स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति पर निगरानी रखते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण करें।
4. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, ...खण्ड ....(समस्त)
5. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. ....(समस्त) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति सभी पैक्स/लैम्पस को भी पालनार्थ उपलब्ध करावें।
6. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियाँ, ...(समस्त)
7. वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

188

(विद्याधर गोदारा)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)